पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : ...... /अका./का.प./2010 रायपुर, दिनांक : ....../04/2010

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शुक्रवार, दिनांक 16.04.2010 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

01.	प्रो. एस.के. पाण्डेय	–	अध्यक्ष
02.	डॉ. (श्रीमती) प्रोमिला सिंह	–	सदस्य
03.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	–	सदस्य
04.	डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
05.	डॉ. ए.के. पति,	–	सदस्य
06.	डॉ. विभूति रॉय	–	सदस्य
07.	डॉ. शलभ कुमार तिवारी	–	सदस्य
08.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
09.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
10.	डॉ. सुबीर कुमार मुखर्जी	–	सदस्य
11.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
12.	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	–	सदस्य
13.	डॉ. इंदु अनंत, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यपरिषद् के नवनियुक्त सदस्यों प्रो. प्रोमिला सिंह, डॉ. अब्दुल अलीम खान, डॉ. आर. पी. दास एवं प्रो. ए.के. पति का कार्यपरिषद् में संकायाध्यक्ष संवर्ग से सदस्य बनने पर स्वागत किया गया।

कार्यवृत्त

बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गए :–

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 12.03.2010 एवं आपातिक बैठक दिनांक 31.03.2010 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.04.2010 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. कम्प्यूटर अध्ययनशाला में मानदेय शिक्षकों के आमंत्रण स्वीकृति एवं भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

4. अनुचित साधन समिति के गठन पर विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि अनुचित साधन समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे –

(1) डॉ. विभूति राय, – कार्यपरिषद् सदस्य
प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, बायोसाइंस अ.शा.

(2) डॉ. अलीम खान – संकायाध्यक्ष सदस्य
प्राध्यापक, विधि अध्ययनशाला

(3) डॉ. प्रमोद शर्मा – विद्या परिषद् सदस्य
अध्यक्ष, समाज शास्त्र अध्ययनशाला

5. प्रोफेसर पद के वेतनमान में त्रुटिसुधार के संबंध में विचार करना।

प्रोफेसर पद का वेतनमान रू. 16400–450–20000–500–22400/– के स्थान पर वेतनमान रू. 16400–450–20900–500–22400/– संशोधन किए जाने। "अ"

एवं इस कार्यालय के आदेश क्र. 3124/सा.प्रशा./99/दिनांक 28.10.1999 के क्र. 04 में उल्लेखित प्रोफेसर पद का वेतनमान रू. 16400–450–20000–500–22400/– के स्थान पर वेतनमान रू. 16400–450–20900–500–22400/– की अधिसूचना जारी किए जाने के संबंध में एवं संशोधित वेतन निर्धारण/वेतनवृद्धि आदेश जारी किए जाने। "ब"

दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त प्रोफेसरों के वेतनवृद्धियों में अधिक भुगतान की राशि की वसूली उनके पेंशन की राशि से किए जाने हेतु उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर को पत्र लिखे जाने। "स"

दिनांक 01.01.2006 के पश्चात् सेवानिवृत्त/कार्यरत् प्रोफेसरों के अधिक भुगतान की राशि की वसूली उनके वेतन से किए जाने। "द"

निर्णय : प्रोफेसर पद के वेतनमान में त्रुटिसुधार के संबंध में विचार किया गया एवं प्रस्तावित त्रुटि सुधार अंश "अ", "ब", "स" एवं "द" मान्य किया गया।

6. विश्वविद्यालय में कार्यरत् माननीय कुलपति, प्राध्यापक, रीडर, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल तथा संचालक/सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा के लिए दिनांक 01.01.2006 से छठवां वेतनमान विश्वविद्यालय में लागू करने बाबत्।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत् माननीय कुलपति, प्राध्यापक, रीडर, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल तथा संचालक/सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा के लिए दिनांक 01.01.2006 से छठवां वेतनमान विश्वविद्यालय में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि शासन से मिलने वाले ब्लॉक मेंटनेन्स ग्रांट की वृद्धि का प्रस्ताव (छठवें वेतनमान के अनुरूप), उच्च शिक्षा शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को भेजा जावे।

7. **डॉ. मनीष रॉय,** रीडर रसायन अध्ययनशाला की जाति के सबंध में सदस्य एवं सयुक्त संचालक जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर से विश्वविद्यालय को प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विचार करना।

निर्णय : **डॉ. मनीष रॉय,** रीडर रसायन अध्ययनशाला की जाति के संबंध में सदस्य एवं संयुक्त संचालक जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति आदिम जाति अनुसधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर से विश्वविद्यालय को प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विचार कर समिति के निर्देश के परिपालन में **डॉ. मनीष राय,** रीडर, रसायन अध्ययनशाला को तत्काल प्रभाव से हटाये जाने (Removal from Service) का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से

01. विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.04.2010 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.04.2010 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान किया गया।

02. 112 महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र अग्रिम **राशि रू. 52,35,458/–** (बावन लाख पैंतीस हजार चार सौ अंठावन रूपए) दूसरी किश्त के भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : 112 महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र अग्रिम **राशि रू. 52,35,458/–** (बावन लाख पैंतीस हजार चार सौ अंठावन रूपए) दूसरी किश्त के भुगतान की सूचना ग्रहण की गई।

03. निम्नलिखित महाविद्यालय में परिनियम–28 के तहत प्राचार्यों की चयन संबंधी नियुक्ति का लिफाफा खोला गया एवं चयन समिति की अनुशंसा मान्य की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	नियुक्त प्राचार्य
01.	रस्तोगी कालेज आफ नर्सिंग, जामुल भिलाई, 2/1, मेन रोड, राधिका नगर, भिलाई	श्रीमती उमा शेन्डे
02.	भिलाई नायर समाजम, सेक्टर–8, भिलाई नगर	डॉ. सतीश कुमार सेन
03.	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, ग्राम–बेलभाठा, अभनपुर, जिला–रायपुर	डॉ. विवेक कुमार मिश्रा

अग्रसेन महाविद्यालय, धनोरा दुर्ग के लिए प्राचार्य हेतु अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया अतः पुनः विज्ञापन के निर्देश दिए गए।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्र. : 924 /अका./का.प./2010 रायपुर, दिनांक : 20/04/2010

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक/ प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप कुलसचिव (अका.)

08 shi 08/tikaram09/. 4